न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप. विविध जमानत आवेदन सं. 172/2026

सी.आई.एस. नंबर 163/2026

बादामबाई पत्नी दूल्हेसिहं, उम्र 42 साल, निवासी- बिरीयाखेडी, पुलिस थाना सदर झालावाड, जिला झालावाड (राज.) **-प्रार्थी/अभियुक्ता**

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **21/2026** पुलिस थाना **सदर झालावाड**
अपराध अंतर्गत धारा **103(1), 109(1), 3(5), 61(2)** भारतीय न्याय संहिता व
धारा **3/25, 5/25** आयुध अधिनियम

उपस्थित

1.श्री रमेशचंद मेघवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2.श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 13.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483** B.N.S.S. में प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.01.2026 को फरियादिया सन्जूबाई ने थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम बीरियाखेड़ीकलां की रहने वाली है। उक्त दिनांक को शाम करीब 6-7 बजे वह, उसका देवर दरयाबसिंह, राजू व उसका बेटा लेखराज व उसका पति रूपसिंह घर पर ही थे कि तभी दूल्हेसिंह पुत्र हरिराम, जुगराज पुत्र हरिराम, जगदीश पुत्र हरिराम, राघुसिंह पुत्र हरिराम जाति कंजर के हाथ बंदूक लेकर उनके घर पर आये आते ही सीधे उसके पति रुपसिंह व उसके लड़के लेखराज पर बंदूक से फायर किया जिससे उसके

पति रुपसिंह की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा उसका लड़का लेखराज घायल हो गया जिनको उसके परिवारजन गांव से लेकर झालावाड़ सरकारी अस्पताल में लेकर गये उसने मालूमात की तो उसके लड़के लेखराज का ईलाज चल रहा हैं और उसके पति रुपसिंह की मृत्यु हो चुकी हैं। सुबह भी जगदीश व दुल्हेसिंह ने उसके साथ मस्टरोल में नाम नहीं लिखवाने की लेकर उसके साथ मारपीट की थी। इन लोगों ने उसी रंजिश को लेकर उसके पति व उसके लड़के पर बंदूक चलायी जिससे उसके पति की मृत्यु हो गयी हैं और उसका बेटा अस्पताल में भर्ती। इत्यादि। इस पर पुलिस थाना **सदर झालावाड** में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **21/2026** पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्ता को **दिनांक 26.02.2026** को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्ता निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसको झूंठा फंसाया गया है। उससे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व उसके उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना है। उसके, बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है। इस प्रकरण की सह अभियुक्ता **कालीबाई** का जमानत का प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीया का प्रकरण अन्य सह अभियुक्ता के प्रकरण से भिन्न नहीं है।अतः प्रार्थी/अभियुक्ता को जमानत पर छोड़ा जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि इस प्रकरण में प्रस्तुत की गई तहरीरी रिपोर्ट में परिवादिया सन्जूबाई ने यह अभिकथन किया है कि दूल्हेसिंह पुत्र हरिराम, जुगराज पुत्र हरिराम, जगदीश पुत्र हरिराम, राघुसिंह पुत्र हरिराम हाथ बंदूक लेकर उनके घर पर आये आते ही सीधे उसके पति रुपसिंह व

उसके लड़के लेखराज पर बंदूक से फायर किया जिससे उसके पति रुपसिंह की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा उसका लड़का लेखराज घायल हो गया। जगदीश व दुल्हेसिंह ने उसके साथ मस्टरोल में नाम नहीं लिखवाने की लेकर उसके साथ मारपीट की थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया तहरीरी रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्ता का नाम अंकित नहीं है न ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य किया जाना बताया गया है। परिवादिया व दरियावसिहं द्वारा अपने पुलिस बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 25.01.2026 में केवल यह कथन किए हैं कि जगदीश, दूल्हेसिहं, जुगराज, बदामबाई, कालीबाई उनके घर पर आए, जगदीश के हाथ मे बंदूक थी, दूल्हेसिहं, बदामबाई, कालीबाई व जुगराज ने जगदीश से कहा कि इनको गोली मार दो तो जगदीश ने बंदूक चलाई जो रूपसिहं के छाती में लगी तथा लेखराज के भी चोटें आई। उसके पति रूपसिहं की मृत्यु हो गई। परिवादिया व दरियावसिहं द्वारा अपने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. दिनांकित 16.02.2026 में प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्ता का कोई नाम नहीं लिया गया है न ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य किया जाना बताया गया है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्ता को तहरीरी रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया है न ही गवाहान परिवादिया व दरियावसिहं द्वारा अपने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान मे प्रार्थी/अभियुक्ता का नाम लिया गया है न ही उसके द्वारा कोई कृत्य बताया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्ता को दिनांक **26.02.2026** को गिरफ्तार किया गया है उसके पश्चात से प्रार्थी/अभियुक्ता निरन्तर अभिरक्षा में चली आ रही है। प्रार्थी/अभियुक्ता महिला है तथा उससे अब कोई बरामदगी एवं अनुसंधान शेष नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्ता का आपराधिक रेकार्ड **निल** बताया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व उसके पश्चात उसके विरूद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण की सह अभियुक्ता **कालीबाई** का जमानत का प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

7. अतः उक्त प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस प्रकरण में **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से **विद्वान विचारण न्यायालय** के संतोषप्रद **50,000/-रूपये** का स्वयं का **बंधपत्र** व **25,000-25,000/-रूपये** की **दो जमानतें** प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें, तो प्रार्थी/अभियुक्ता को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक **13.03.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL MAJID

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by ABDUL MAJID
Date: 2026.03.13 16:33:31 +0530

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।